न्याय आपके द्वार अभियान 2018
शिविरः— घाणेराव
दिनांक :— 11.05.2018

रामसिंह बनाम राजस्थान सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11.05.2018	वादी अनुपस्थित। भूमिधारी तहसीलदार देसूरी उपस्थित। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मौजा घाणेराव तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 1856/4015 रकबा 82.70 हे0 किस्म बा. में से 0.48 एवं ख.न. 2519 में से 1.80 हे0 कुल 2.28 हे0 भूमि पर पुराने कब्जे यानि सम्वत् 2000 से होने के आधार पर खोतदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी ने वाद पत्र के तथ्यों को इनकार कर यह निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा बहैसियत अतिक्रमी सम्वत् 2041 से दर्ज है। वादग्रस्त भूमि गत व हाल रेकार्ड में ग्राम पंचायत के नाम बतौर गोचर दर्ज है। ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है। गोचर भूमि होने से वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार कभी भी वादी को अर्जित नहीं हो सकते है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागु होने से पूर्व किसी भी स्थिति में प्रमाणित नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो काबिल खारिज है। हमने भूमिधारी तहसीलदार देसूरी को सुना एवं उपलब्ध गत व हाल रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक प्राप्त करने का किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के नाम गत व हाल रेकार्ड में बतौर गोचर दर्ज है। जिसके खातेदारी हकूक वादी को प्रदत नहीं किये जो सकते है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी उपखण्ड अधिकारी देसूरी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
शिविर – घाणेराव

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादी :–
रामसिंह पुत्र श्री ओटसिंह
जाति– रावणा राजपूत निवासी– घाणेराव
तहसील–देसूरी जिला पाली (राज)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–
1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत **88, 89, 188 ,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **32 / 2017**
निर्णय दिनांक :– **11.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी अधिवक्ता अनुपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **भूमिधारी तहसीलदार** देसूरी में इस वाद में आज तारीख **11.05.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी देसूरी